

11/327/02
11-8-03

मध्यप्रदेश शासन



समिति का पंजीयन प्रमाण-पत्र

क्रमांक/प्रमाण. डॉ. शंकाबाई खन्ना... 11879 /02

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम शिखा परिषद बैदल
समिति जो 5A, सिविल लाइन, बैदल, तहसील बैदल
जिला बैदल में स्थित है, मध्यप्रदेश
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44)
के अधीन 11-3-2003 को पंजीयित की गई है।

दिनांक ग्यारह माह मार्च सन् प्रखण्ड 2003



मार्क

[Signature]
[शशि सिंह]
समितियों के रजिस्ट्रार

PRINCIPAL
Shri Rishi Pharmacy College
JANTHI, BETUL

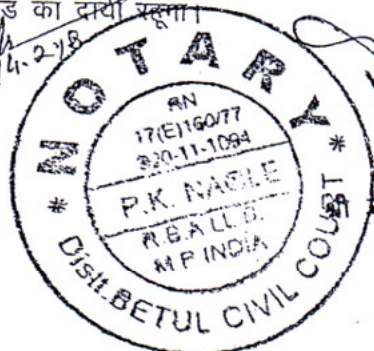
प्रारूप सात

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 कमांक 44 सन 1973 की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिये प्रपत्र

1	सोसायटी का नाम ओर पूरा पता	श्री राम शिक्षा परिषद (रजि.) SI, सिविल लाइन, बेटुल UN AID ED Society			
2	पंजीयन कमांक तथा तारीख	11879/02 दिनांक 11-03-03			
3	साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख	5-12-17			
4	विद्यमान पदाधिकारियों की सूची	कार्यकाल तारीख 1-12-17 से 6-12-20 तक			
1	नाम पिता/पिता का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
	डॉ० मंगल चन्द्र SI श्री रंजित प्रसाद	SI सिविल लाइन बेटुल	अध्यक्ष	प्रोफेसर	म. मंगल चन्द्र
2	श्री सुमित सरखे SI श्री	मुम्बई रोड बेटुल	उपाध्यक्ष	टेक्नीशियन	Sunit
3	श्री मंगल चन्द्र MSB SI श्री एमपी. प्रसाद	26 मंगल चन्द्र कोलार रोड बेटुल	सचिव	ROAAT प्रशिक्षण अधिकारी	
4	श्री धन प्रकाश B.E. SI श्री मंगल प्रसाद	मंगल चन्द्र रोड कोलार रोड बेटुल	कोषाध्यक्ष	शासकीय सिविल कार्पेन्टर	
5	श्रीमती मलयिका खड़े SI श्री रंजित खड़े	ग्र. मुकुटाग प. मंगल चन्द्र बेटुल	सदस्य	स्वयं	कृतमना खड़े
6	श्रीमती विनिता देवी SI श्री रंजित प्रसाद	VIP मंगल चन्द्र इधरसी	सदस्य	हस्तवाद्य	Vinita
7	श्रीमती सुशीला देवी SI श्री मंगल प्रसाद	हस्तवाद्य रोड कोलार रोड बेटुल 460-001	सदस्य	महिला वकील	श्री सुशीला बेटुल

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 कमांक 44 सन 1973 की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की वार्षिक फीस, आनलाइन चालान कमांक 96453 + 98449 दिनांक 16-10-17 के द्वारा जमा कर दी गई है की मूल प्रति संलग्न है। 100/- 2000/- 1000/- Total 3100/-

मैं Dr. Mangal Chandra पिता/पति श्री रंजित प्रसाद आयु 83 एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में उक्त द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी अधिनियम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिनियम में है। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन दण्ड का दायी रहूँगा।



सचिव
श्री राम शिक्षा परिषद
बेटुल

अध्यक्ष/सचिव
PRESIDENT
SHRIRAM SHIKSHA
PARISHAD (REGD.) BETUL